GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 12.07.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 2 जोडी पाजेब व 2 सिक्के (सफेद धातु के)बरामद।

थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को 01 चोर अभियुक्त जाहिद पुत्र मन्जुर अहमद निवासी पीपल वाली मस्जिद कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को भट्टा रोड कटहैरा के पास से चोरी की दो जोडी पाजेब दो सिक्के शफेद धातु के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

1. जाहिद पुत्र मन्जुर अहमद निवासी पीपल वाली मस्जिद कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०स० २४८/२०२१ धारा ३८०/४११ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

02 जोडी पाजेब व 2 सिक्के सफेद धातु के



2-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व एक सेन्ट्रों कार बरामद।

थाना दनकौर पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को मु0अ0स0 251/21 धारा 302 भादिव से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1- विनोद खारी पुत्र लायक राम निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर 2-अमित मावी पुत्र स्व. धूम सिंह मावी निवासी मोहल्ला आलम खानी मेन रोड बिलासपुर थाना दनकौर को मय (आला कत्ल) एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर के अलौंदा की पुलिया बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त कार सेंट्रो लाल रंग नंबर एचआर 26 एएच 6217 को भी बरामद किया गया है।

घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 11.07.2021 को प्लाट के विवाद के कारण संदीप पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम चचूरा की मंगतराम कालोनी खेरली हाफिजपुर में गोली मारकर हत्या की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0स0 251/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1- विनोद खारी पुत्र लायक राम निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2-अमित मावी पुत्र स्व. धूम सिंह मावी निवासी मोहल्ला आलम खानी मेन रोड बिलासपुर थाना दनकौर

अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० २५१/२१ धारा ३०२ भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1.01 कार सेंट्रो लाल रंग नंबर एचआर 26 एएच 6217
- 2.एक तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस



3-थाना रबूपुरा पुलिस व लुटेरे बदमाशों के बीच पुलिस मुठभेड के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी एक मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 02 हजार रूपये नकद, 01 पर्स व अवैध शस्त्र बरामद।

थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को पुलिस मुठभेड के दौरान मोटर साइकिल सवार 03 अभियुक्त फलैदा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा दिनाँक 04.07.2021 को विधुत उपकेन्द्र रबूपुरा के राजस्व प्रभारी सतेन्द्र प्रताप सिंह एवं अवर अभियन्ता बृजिकशोर राय से तमंचो के बल पर एक मोटरसाइकिल व 04 अदद मोबाइल फोन तथा करीब रू० 17,000/- की लूट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 195/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा दिनाँक 12.05.2021 को ग्राम भाईपुर की वादिया का बैग व पर्स (जिसमें एक मोबाइल फोन व नकदी रखी थी) को रबूपुरा से भाईपुर जाते समय खेडा पुल के पास से चोरी कर लिये गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 103/2021 धारा 379 भादवि0 में पंजीकृत है अभियुक्तों का विवरण-

- 1.उम्मेद पुत्र नजर खां नि० ग्राम मेहंदीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 2.अमन पुत्र रियाजुद्दीन नि0 ग्राम मेहंदीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

3.अब्दुल्ला पुत्र इंसाद नि0 पलाका थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

- 1.मु०अ०स० १९५/२०२१ धारा ३९२ भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्दनगर
- 2.मु०अ०स० १०३/२०२१ धारा ३७१, ४११ भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्दनगर
- 3.मु०अ०स० २०७७२०२१ धारा ३०७,४११ भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्दनगर
- ४.मु०अ०स० २०८/२०२१ धारा २५/२७ आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु०अ०स० २०९/२०२१ धारा २५/२७ आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

- 1.एक तमंचा देशी 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर,
- 2.एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर,
- 3. 03 मोबाइल फोन,
- 4.रू० 2000 नकद
- 5. लूट से सम्बन्धित मोटर साइकिल
- 6. एक पर्स



4-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पैरोल पर आया 12 वर्ष से फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को पैरोल पर 12 साल से फरार अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रामफूल निवासी ग्राम खेडी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को डिफेन्स कालोनी थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागार आगरा हेतू भेजा गया है।

अभियुक्त का विवरणः

अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रामफूल निवासी ग्राम खेडी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरणः

मु०अ०सं० १८२/८१ धारा ३६४/३०२ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर



6- थाना फेस 3 पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को मु०अ०स० 971/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त सैंकी पुत्र रामसिंह निवासी म० न० 104 सी व्लाक सिद्धार्थ बिहार बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.07.2018 को वादी की मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्त के साथी मोटर साइकिल सहित पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके है। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0स0 971/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अभि0 सैंकी पुत्र रामसिंह निवासी म0 न0 104 सी व्लाक सिद्धार्थ बिहार बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

मु०अ०सं० ९७७७/२०१८ धारा ३७९ /४११ भादवि थाना फेस-३ नोएडा



5-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व 01 सरिया बरामद।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को चोरी का प्रयास करने 03 वाले अभियुक्त 1. नितिन पुत्र किरनपाल नि0-म0नं0-59 डी छलैरा सै0-45 थाना सै0-39 जीबीएन, 2. मंगल सैन पुत्र हीरालाल नि0-मौ0मटरिया गांव इस्लाम नगर थाना इस्लाम नगर जि0 बदांयू वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता करनवास थाना सूरजपुर, 3. देवेन्द्र शर्मा पुत्र उमेश शर्मा नि0-गांव बकुआ थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता थाना सूरजपुर जीबीएन को सूर्या एन्क्लेव यूपीएसआईडीसी साईट सी स्थित खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरणः

- 1. नितिन पुत्र किरनपाल नि०-म०नं०-५९ डी छलैरा सै०-४५ थाना सै०-३९ जीबीएन,
- 2. मंगल सैन पुत्र हीरालाल नि0-मौ0मटरिया गांव इस्लाम नगर थाना इस्लाम नगर जि0 बदांयू वर्तामन निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता करनवास थाना सूरजपुर जीबीएन
- 3. देवेन्द्र शर्मा पुत्र उमेश शर्मा नि0-गांव बकुआ थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता थाना सूरजपुर जीबीएन

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु.अ.स. 531/21 धारा 398/401 भादवि थाना सूरजपुर बनाम नितिन व मंगल सैन, व देवेन्द्र शर्मा उपरोक्त

2.मु.अ.स. 532/21 धारा ४/25 भादवि थाना सूरजपुर बनाम मंगल सैन उपरोक्त

बरामदगी:

एक अवैध चाकू

एक सरिया



6- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन/मोबाइल फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन, एक चोरी की मो0सा0 पैशन प्रो व 02 अवैध चाकू बरामद।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को गढ़ी चौखन्डी की तरफ से आने वाले रास्ते से 02 वाहन/मोबाइल चोर 1.विवेक चौहान पुत्र सतपाल सिंह निवासी लेबर चौक वाटर सप्लाई पम्प के पास सै0 62 थाना सै0 58 नोएडा स्थाई पता ग्राम नगरिया थाना आवला जनपद बरेली उ०प्र0 2. रोशन कुमार चौधरी उर्फ गुलशन पुत्र निर्मल चौधरी उर्फ बाल किशन निवासी प्रगति बिहार लेबर चौक सै0 62 नोएडा स्थाई पता वन्दना एक्लेब खोडा कालोनी थाना थाना खोडा गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रमः-

अभि0 एनसीआर व थाना क्षेत्र से आये दिन वाहन व मोबाईल चोरी जैसी घटना कारित करते है व रात में अंधेरे का फायदा उठाकर आम जनता के आते जाते व्यक्तियों को चाकू दिखाकर डराते है और उनसे मोबाईल चोरी व झपट्टा मारकर छीन लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

- 1.विवेक चौहान पुत्र सतपाल सिंह निवासी लेबर चौक वाटर सप्लाई पम्प के पास सै० 62 थाना सै० 58 नोएडा मूल निवासी ग्राम नगरिया थाना आवला जनपद बरेली उ०प्र०
- 2.रोशन कुमार चौधरी उर्फ गुलशन पुत्र निर्मल चौधरी उर्फ बाल किशन निवासी प्रगति बिहार लेबर चौक सै0 62 नोएडा मूल निवासी वन्दना एक्लेब खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभि0 विवेक चौहान का

मु०अ०सं० ६९६/२०२१ धारा ४१४ भादवि थाना फेस ३ नोएडा

मु0अ0सं0 697/2021 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट बनाम विवेक चौहान उपरोक्त

मु०अ०सं० १०५/१९ धारा ३९२/४११ भादवि थाना सैक्टर २० नोएडा

मु०अ०सं० १६९/१९ धारा ४१४/४२० भादवि थाना सैक्टर २० नोएडा

मु०अ०सं० 184/19 धारा 392 भादवि थाना फेस-3 नोएडा <u>अभि० रोशन कुमार चौधरी</u>

मु०अ०सं० ६९६/२०२१ धारा ४१४ भादवि थाना फेस ३ नोएडा मु०अ०सं० ६९८/२०२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट बनाम थाना फेस-३ नोएडा मु०अ०सं० १०५/१९ धारा ३९२/४११ भादवि थाना सैक्टर २० नोएडा मु०अ०सं० १६९/१९ धारा ४१४/४२० भादवि थाना सैक्टर २० नोएडा मु०अ०सं० १८४/१९ धारा ३९२ भादवि थाना फेस-३ नोएडा

बरामदगी का विवरणः-

- 1. 02 मोबाइल फोन
- 2. एक मो0सा0 रजि0 नं0 डीलए 3एसई यू 0234 पैशन प्रो रंग ब्लू (सम्बन्धित मु0अ0सं0 017298 थाना म्यू पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ली)
- 3. 02 अवैध चाकू



7- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक की पीली धातू की अंगूठी बरामद।

थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त राज ग्वाला उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र जगनारायण यादव निवासी कुंज नगर सिनेमा मालिक का मकान झुलान चौक थाना सिमडेगा झारखण्ड मूल निवासी चक्की थाना बरहपुर जिला बक्सर बिहार को मोरना बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 24 पर पंजीकृत मु0अ0स0 371/2021 धारा 302/201/404/34 भादवि में वांछित चल रहा था।

घटना का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.05.2021 को राज कूजूर की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर 24 नोएडा पर मु0अ0स0 371/21 धारा 302/24 भादिव पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के 03 साथी 1.गोविन्द 2.ध्रुव कुमार 3. संजय को दिनांक 23.05.2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-राज ग्वाला उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र जगनारायण यादव निवासी कुंज नगर सिनेमा मालिक का मकान झुलान चौक थाना सिमडेगा झारखण्ड मूल निवासी चक्की थाना बरहपुर जिला बक्सर बिहार

आपराधिक इतिहास/अभियोग का विवरण-

- 1-मु०अ०स० ३७१/२१ धारा ३०२/२०१/४०४/३४ भादवि थाना सेक्टर २४
- 2-मु०अ०स० २६/१७ धारा ३६३/३७०(५)/३५ भादवि व ७५/८१ जे०जे० एक्ट थाना सिमडेगा झारखण्ड
- 3-मु०अ०स० ५/२० धारा ३६३/३७०(५) भादवि व ७५/८१ जे०जे० एक्ट थाना सिमडेगा झारखण्ड

बरामदगी का विवरण

मृतक राज कुजूर की पीली धातू की अंगूठी

